न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 37 / 2020

1 अमनदीप सिंह पुत्र फलेल सिंह जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 बलवंत कौर पत्नी फलेल सिंह जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1 लक्ष्मण सिंह पुत्र जोरा सिंह जाति कुम्हार निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 श्री सन्त कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक : 04.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 एस डी एस "ए" जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 151/34 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, मु.न. 28 कि.न. 12, 13, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी कुल खाता 2.024 है. नहरी आराजी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 7 एस डी एस "ए" जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 78/64 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 21, 22 में 0.506 है.नहरी, मु.न. 28 कि.न. 16 ता 25 में 2.530 है. नहरी, मु.न. 29 कि.न. 16 ता 18, 23 ता 25 में 1.518 है. नहरी कुल खाता 4.554 है. नहरी आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की चक 7 एस डी एस "ए" जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 151/34 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, मु.न. 28 कि.न. 12, 13, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी कुल खाता 2.024 है. नहरी आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थीगण मु.न. 27 के कि.न. 21 ता 25 के चिपते दक्षिण दिशा में चल के सरकारी रास्ता से मु.न. 27 के कि.न. 21 के पश्चिम दिशा में से दक्षिण से उत्तर [illegible] मे से होकर अपने कब्जा काश्त के मु.न. 27 के कि. न. 20 में आते जाते है जो कि पिछले 60 वर्षो से चल रहा है एवं आज भी चल रहा है। एवं उक्त चक में प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग किये जा रहे रास्ता के बदले में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को अपने हक व हिस्सा की चक 7 एस डी एस "ए" के मु.न. 28 के कि.न. 15 में पुराने मौखिक बंटवारा के मुताबिक खाला दे रखा है जिसमें से अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी को सिंचाई करता है। मु.न. 27 के कि.न. 21 अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम दर्ज व कब्जा काश्त में है एव प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी को काश्त करने के लिये उक्त किला में से होकर अपने हक व हिस्सा की आराजी मे आते जाते है जो कि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] है। मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.09.30 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

चल रहे रास्ता की फोटो संलग्न प्रार्थना पत्र एव लिखित पंचायत दिनांक 14.01.2018 की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के हक व हिस्सा नाम दर्ज चक 7 एस डी एस ''ए'' जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 151/34 प.न. 0 मु.न. 27 कि. न. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, मु.न. 28 कि.न. 12, 13, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी कुल खाता 2.024 है. नहरी आराजी मे आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपने खेत से घर आने जाने व खेत मे जाकर काश्त करने व कृषि उपज को खेत से घर बाजार लाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है मौका पर प्रार्थीगण अपनी आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिससा की आराजी चक 7 एस डी एस ''ए'' जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 78/74 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 21 के दक्षिण दिशा चल रहे सरकारी रास्ता से कि.न. 21 के पश्चिम दिशा में से दक्षिण से उत्तर रास्ता मे से होकर अपने कब्जा काश्त के कि. न. 20 में आते जाते है लेकिन उक्त रास्ता स्वीकृतशुदा नही है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उक्त रास्ता से आने जांने से रोकने की कौशिश करते रहते है एवं समय समय पर उक्त रास्ता में टैक्ट्रर ट्राली एवं अन्य कृषि उपकरण खड़े करके अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे प्रार्थीगण को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मौका पर चालू रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने से वंचित हो जाता है कई बार लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, जिस पर सरपंच एवं अध्यक्ष जल उपभोगता संगम बी.के. 120 द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा करवाया था एव ग्राम पंचायत की लैटर पेड पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य राजीनामा करवाकर खाला व रास्ता की लिखित करवायी थी, परन्तु अप्रार्थी बार बार उक्त सहमति से ईनकारी कर लड़ाई झगड़ा करते है इस कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी के लिये आराजी चक 7 एस डी एस ''ए'' जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 78/74 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 21 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर रास्ता 1½ बिस्वा रास्ता यानि 12 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये कानूनी अधिकारी है। उक्त रास्ता की प्रार्थीगण की आराजी के लिये अति आवश्यकता है। प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृति की मांग सुविधा के लिये नही बल्कि अपनी आवश्यकता के लिये कर रहे है। प्रार्थीगण , अप्रार्थी संख्या 1 को उनकी आराजी में से 1½ बिस्वा रास्ता के बदले में स्वयं के हक हिस्सा की आराजी में से खाला दे रखा है जिसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थी संख्यां 1 कर रहा है एव स्वयं की आराजी को सिंचित कर रहा है। प्रार्थीगण की आराजी के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी मे मु.न. 27 के कि.न. 21 में पश्चिम दिशा में 1½ बिस्वा रास्ता देने से अप्रार्थी संख्या 1 को नुकसान व क्षति नही है, बल्कि आराजी के लिये रास्ता नही होने के कारण व अप्रार्थीगण द्वारा लड़ाई झगड़ा करने के कारण प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्सा की आराजी मे जाने से रोक देते है एव प्रार्थीगण की आराजी रास्ता के अभाव मे बंजर होने की स्थिती मे आ जायेगी और रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण को नूकसान व क्षति कारित होगी एवं प्रार्थीगण की आराजी के लिये स्वीकृतशूदा रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को आर्थित क्षति कारित हो रही है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी से कहा कि वह प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने व आराजी की अच्छी देखभाल काश्त करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 अपनी आराजी चक 7 एस डी एस ''ए'' जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 78/74 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 21 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 1½ बिस्वा रास्ता यानि 12 फुट चौड़ा रास्ता सहमति से स्वीकृत करवा देवे , तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की बात मानने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया एवं कहा कि मैने भाई चारे से

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.09.30 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आपको (प्रार्थीगण को) अपनी (अप्रार्थी संख्या 1की) आराजी में से रास्ता दे रखा है। अब यदि इस रास्ता को स्वीकृत करवाने की कोशिश की तो मैं रास्ता बंद कर दूंगा, बस यही बिनाये प्रार्थना पत्र है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आर. टी. ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की चक 7 एस डी एस "ए" जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 151/34 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, मु.न. 28 कि.न. 12, 13, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी कुल खाता 2.024 है. नहरी आराजीमे आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 7 एस डी एस "ए" जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 78/74 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 21 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 1½ बिस्वा यानि 12 फुट चौड़ा रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण मु.न. 27 के कि.न. 21 ता 25 के दक्षिण दिशा में चल रहे सरकारी रास्ता से होकर मु.न. 27 के कि.न. 21 पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण होकर कभी कब्जा काश्त की आराजी में नही गये प्रार्थीगण कभी कभार मु.न. 27 के कि.न. 22 के पूर्वी दिशा से होकर अपनी आराजी में चले जाते है जिनको जब अप्रार्थी की फसल काश्त ना हो तब प्रार्थी नही रोकता जब फसल काश्त हो तब यहां से नही जाते और मौका पर यहां कोई रास्ता नही है यहां यह कथना करना भी न्याय संगत है मु.न. 27 के कि.न. 21 मे पश्चिम दिशा मे उत्तर से दक्षिण यदि रासता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी के खेत के टुकड़े हो जायेगें और अप्रार्थी संख्या 1 को न पूरा होने वाला नूकसान होगा, यदि प्रार्थीगण मु.न. 27 के कि. न. 22 के पूर्व दिशा मे उत्तर दक्षिण अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिये रास्ता की मांग करते है और इस रास्ते मे आने वाली आराजी के बदले मे उतनी ही आराजी मु.न. 27 के कि.न. 21, व 22 के उत्तर दिशा में किला न. 19,20 में अप्रार्थी लक्ष्मण सिंह के नाम दर्ज करवाने की सहमति देते है तो अप्रार्थी संख्या 1 लक्ष्मण सिह मु.न. 27 के कि. न. 22 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता देने के लिये सहमत है। यदि अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त के मु.न. 27 के कि.न. 21 के पश्चिम दिशा मे दक्षिण दिशा मे दक्षिण से उत्तर की ओर के मु.न. 27 के कि.न. 21 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर डेढ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के दो टुकडे हो जायेगें इससे अप्रार्थी संख्या 1 को ना पूरा होने वाला नूकसान हो जायेगा जिसकी भरपाई किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त मु.न. 27 के कि.न. 11, 12, 19, 20 मु.न. 28 के कि.न. 12 ता 15 पर है अप्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र जोरा सिह की कब्जा काश्त मु.न. 27 के कि.न. 21 व 22 मु.न. 28 के कि.न. 16 ता25 मु.न. 29 के कि.न.1 6 ता 18, 23 ता 25 कुल 18 किता में 4. 554 है. पर है प्रार्थीगण मु.न. 27 के कि.न. 21 ता 25 के दक्षिण दिशा में चल रहे सरकारी रास्ता से होकर कभी कब्जा काश्त की आराजी मे नही गये प्रार्थीगण कभी कभार मु.न. 27 के कि.न. 22 के पूर्वी दिशा में से होकर अपनी आराजी मे चले जाते है। जिनको अप्रार्थी की फसल काश्त ना हो तब प्रार्थी नही रोकता जब फसल काश्त हो तब यहां से नही जाते और मौका पर यहां कोई रास्ता नही है। मु.न.27 के कि.न. 21 मे रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी की आराजी के दो टूकड़े जो जायेगें अप्रार्थी संख्या 1 को ना पूरा होने वाला नूकसान होगा। यदि अप्रार्थीगण मु.न.27 के कि.न. 22 के पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिये रासते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.09.30 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की चक 7 एस डी एस ''ए'' जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 151/34 प.न. 0 मु.न. 27 कि.न. 11, 12, 19, 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी, मु.न. 28 कि.न. 12, 13, 14, 15 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी कुल 1.012 है. नहरी कुल खाता 2.024 है. नहरी आराजी मे आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 7 एस डी एस ''ए'' जमाबदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 78/74 प.न. 0 मु.न. 27 कि. न. 21 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर 1½ बिस्वा यानि 12 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर रास्ता का गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। उक्त किला में 1½ बिस्वा रास्ता में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना करके उसकी डी.एल.सी. रेट की दुगुनी रेट से राशि प्रार्थीगण से जमा करवाई जावे एवं उक्त राशि जमा होने पर जमाशुदा राशि सम्बधित काश्तकारान अप्रार्थीगण संख्या 1 को लौटाई जावें। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.09.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.09.30 16:22:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner